न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 53 / 2024
दायर दिनांक 31.05.2024
पीठासीन अधिकारी– विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मण लाल यादव पुत्र श्री हीरालाल, मैसर्स लक्ष्मण किराणा मैन बाजार, घण्टाली
2. ज्योतिराम पुत्र श्री मंगललाथ, खोरापाडा, घोरी, बांसवाडा
3. मैसर्स माया किराणा एण्ड जनरल स्टोर, तेजपुर, बांसवाडा
4. श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता D-92, L.B. Nagur, Naya Khera, Vidhyadhar Nagar, Jaipur 302039
5. M/s Shree Tadkeshwar Agro food product T-308 windsor plaza SC road Jaipur 302001
6. M/s Shree Tadkeshwar Agro food product, H-1-37/37A, Sarana dungar industrial Area, jhotwra extension jaipur 302012

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 05 / 03 / 2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की जारी अधिसूचना कमांक प1 (2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड रिफाईण्ड पॉम ऑयल (श्री हरि ब्राण्ड) का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विकेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.11.2023 को 1.30 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स लक्ष्मण किराणा घण्टाली पहुंचा वहां ट्रे में रिफाईण्ड पाम ऑयल (श्री हरि ब्राण्ड) के 10 पैक डिब्बे 500 ग्राम के रखे थे। उस समय मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसे अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। खाद्य कारोबारकर्ता ने अपना नाम लक्ष्मण लाल यादव पुत्र हीरालाल बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे रिफाईण्ड पाम ऑयल पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बताया कि उक्त रिफाईण्ड पाम ऑयल का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है जिसकी प्रति न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त पाम ऑयल में से 4 पैक पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 500 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर कियें जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पाम ऑयल के पैक डिब्बो को पैक अवस्था में विक्रेता एवं गवाहान के सामने 4 लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड एवं क्रमांक, दिनांक व वस्तु का नाम व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये व विक्रेता तथा गवाह के भी हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग भूरे कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षर पेपर स्लिप नं वाई–2003 नियमानुसार चारो नमूना पैकेट्स पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी विक्रेता प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की छह प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटरकवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया रिफाईण्ड पाम ऑयल का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है । उक्त क्रम में लक्ष्मण लाल यादव को फर्म से सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया। इस क्रम में मालिक द्वारा आधार कार्ड व बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। इस क्रम में मैसर्स माया किराणा एण्ड जनरल स्टोर तेजपुर को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत करने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहने पर मालिक द्वारा आधारकार्ड व बिल की छयाप्रति प्रस्तुत की। उक्त क्रम में मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट जयपुर फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इस पर फर्म द्वारा आधारकार्ड व नोमिनी की सूचना प्रस्तुत की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी क्रमांक 1 व 2 के सम्मन बाद तामील उपरांत भी अप्रार्थी अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एतकरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त शर्मा द्वारा दिनांक 18.09.2024 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की दूकान से 500 ग्राम के पैकेट के नमूने लिये थे तथा मौके पर फार्म संख्या 5ए का नोटिस भी विक्रेता फर्म को भरकर दिया था जिसमे उक्त नमूने से सम्बन्धित विवरण था लेकिन खाद्य पदार्थ का बैच नं. विवरण अंकित नहीं है जबकि निर्माता द्वारा माल के ऊपर उसकी निर्माण तिथि व बैच नं. तथा एफएसएसए के नियमानुसार लेवल में ही माल पैक कर विक्रय किया जाता है। किस बैच नं. के माल की खाद्य प्रयोगशाला द्वारा जॉच से यह साबित नहीं होता है कि जिस माल का नमूना लिया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested

उसी की जॉच हुई। संदेहास्पद स्थिति में प्रार्थीगण को जॉच रिपोर्ट के आधार पर दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांसा/एक्ट/2023/1479 दिनांक 22.11.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा रिफाईण्ड पाम ऑयल का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट जयपुर पर राशि 40000/—रू अक्षरे चालिस हजार रू शास्ति आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान/नगद से राजकोष में निर्णय दिनांक **05.03.2025** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2025/485-87 दिनांक 05.03.2025

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (अन्न स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अप्रार्थी अभियुक्त मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट जयपुर H-1-37/37A, Sarana dungar industrial Area, jhotwra extension jaipur 302012

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़